उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बारां जिला बारां (राज.)

वाद-पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
58 /21	53,188 RTA	खेडी जागीर	बारां

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
नन्दलाल	बनाम	महावीर वगै0

वकील :– श्री विरेन्द्र गौत्तम

आदेश पत्रक

वकील:–

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
19.04.2021	अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 आर टी एक्ट विरूद्व प्रतिवादी के न्याया0 में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी गण को जर्ये सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 24.05.21 को पेश हो।	
24/5/21	पीठासीन अधिकारी ... में रहने से पूर्ववत दिनांक 8/7/21 को प्रस्तुत हो। सेडर उप खण्ड अधिकारी बारां	
8.7.21	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित वादी गण की तलबी के तलबाना पेश कर पत्रावली वादी तलबी दिनांक 27.8.21 को पेश हो उप खण्ड अधिकारी बारां	
27-8-21	पीठासीन अधिकारी ... में रहने से पूर्ववत दिनांक 1.10.21 को प्रस्तुत हो। सेडर उप खण्ड अधिकारी बारां	
1.10.21	पत्रावली पेश हुई वकील वादी व प्रतिवादी वादी उपस्थित वकील वादी व प्रतिवादी को गौत्र का आधार लगाकर जो वाक्य प्रकरण के न्याया के उपस्थित है ... कार्ड अदम हाजरी अदम पैरवी ... किया जाय पत्रावली पेशल ... वकील के दाखिल दफ्तर हो	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.22 14:54:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner